राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः एफ 186( )पंरावि/लेखा/निरी.–II/2015–16 14397 जयपुर, दिनांक : 30-03-2016

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के अंकेक्षणों जैसे एजी/एलएफएडी/सोशल ऑडिट/आंतरिक अंकेक्षण संबंधी निर्देशों की पालना में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत विभाग द्वारा इन निर्देशों को सरलीकृत किये जाने के क्रम में यह निर्णय लिया जाता है कि कार्यों के पूर्णता प्रमाणपत्र की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर ही भौतिक सत्यापन किया जाना है।

अतः उपरोक्तानुसार लिए गए निर्णय के क्रम में विभागीय आदेश दिनांक 29.12.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत किये गये/करवाये जा रहे कार्यों एवं समस्त व्यय की विस्तृत जांच सुनिश्चित की जावे एवं जिन कार्यों के कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी किये गये हैं का भौतिक सत्यापन कराया जावे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

30/3/16

(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांकः एफ 186( )पंरावि/लेखा/निरी.–II/2015–16 जयपुर, दिनांक :

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है :–</u>

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि., जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त ईजीएस
5. अतिरिक्त आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, ईजीएस
6. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक.................................
7. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, शासन सचिवालय, जयपुर
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.................................
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति.................................
10. रक्षित पत्रावली
11. कम्प्यूटर सेल, विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

शासन सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग